

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(एम-113/92)/अलेसे-11/2107

दिनांक :- 27/9/18

कार्यालय आदेश

श्री मुकेश कुमार शर्मा (लिक नं. 3416), स.ले.अ.-II कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जयपुर द्वितीय जयपुर को दिनांक 01.12.2016 से 06.06.2018 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय कोषाधिकारी जयपुर शहर के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।

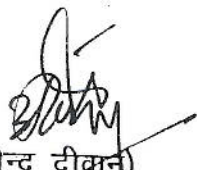

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(एम-113/92)/अलेसे-11/2107

दिनांक :- 27/9/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जयपुर द्वितीय जयपुर।
2. कोषाधिकारी जयपुर शहर।
3. श्री मुकेश कुमार शर्मा, स.ले.अ.-II, कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जयपुर द्वितीय जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)